




# DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI

Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035  
E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com  
Website : www.dsrdsdelhi.com



HCP-2

DSRDS

Ref. : DSRDS-DELHI/2017/NO. 236

Date : \_\_\_\_\_

**SHIV KUMAR GARG**  
President  
9212567435

**JAGDISH PRASHAD**  
Sr. Vice President  
9810406015

**KUNJ BIHARI BANSAL**  
Vice-president  
9810630323

**SHYAM SUNDAR**  
Vice President  
9911178848

**SUNIL SHARMA**  
Vice President  
9310023180

**MANOJ SHARMA**  
Vice President  
9582203929

**RAKESH KUMAR JAIN**  
Vice-President  
8800217969

**SITARAM**  
Gen. Secretary  
9312238830

**RAJNEESH SHARMA**  
Secretary  
9818569678

**SAURABH GUPTA**  
Secretary  
9810943745

**MATLOOB ALAM**  
Secretary  
9818946781

**MANJEET KAUR**  
Secretary  
9210565722

**RAHUL AGGARWAL**  
Cashier  
9871420213

सेवा में,

डा. एम. एम. कुट्टी साहब,  
मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,  
दिल्ली सरकार-दिल्ली  
दिल्ली सचिवालय,

विषय:- दिल्ली में खाद्य एवं संभरण विभाग, दिल्ली, द्वारा 2260 उचित दर दुकानदारों की अनदेखी/अवहेलना के सन्दर्भ में.

श्रीमान जी ,

निवेदन इस प्रकार है की दिल्ली के समस्त राशन डीलर्स सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लगभग 40 वर्षों से सरकार द्वारा जारी राशन(सस्ता अनाज) दिल्ली के जरूरतमंद परिवारों को उपलब्ध करा रहे है। दिल्ली सरकार तथा खाद्य एवं संभरण विभाग, दिल्ली को कई बार लिखित और मौखिक रूप से दिल्ली के राशन डीलर्स ने अपनी समस्याओ तथा मांगो से अवगत कराया है, ताकि वह भी ईमानदारी के साथ दिल्ली के जरूरतमंद राशन उपभोक्ताओं की सेवा कर सके। दिल्ली के राशन डीलर्स की विभिन्न समस्याए और मांगे निम्न है :-

1. दिल्ली में राशन डीलर्स का कमीशन कम से कम 2.80 रुपये प्रति किलो होना चाहिए, जोकि वर्तमान में 70 पैसे प्रति किलो दिया जा रहा है जबकि अन्य राज्यों/केंद्र शासित राज्यों में राशन डीलर्स का कमीशन 2 रुपये प्रति किलो तक है जैसे झारखण्ड में 1/- रुपये ,महाराष्ट्र में 1.5/- रुपये तथा गोवा में 2/- रुपये प्रति किलो तक है, ताकि दिल्ली के राशन डीलर्स भी अधिक ईमानदारी से दिल्ली के जरूरतमंद परिवारों को समय पर पूरा राशन वितरण कर सके.
2. दिल्ली के राशन डीलर्स का एक वर्ष की अवधी (01.09.2013 से 31.08.2014 तक) का बकाया कमीशन शीघ्र मिलना चाहिए, जोकि भारत सरकार द्वार जारी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 17 अगस्त 2015 के अनुसार देय है {प्रतिलिपि संलग्न (क)}, गौरतलब हो कि दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 01 सितम्बर 2013 से लागू है.

Recd  
14/11/2017


दिनांक:- 14.11.2017



# DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI

Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035  
E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

Website : www.dsrdsdelhi.com



**DSRDS**

Ref. : DSRDS-DELHI/2017/NO. 236

Date : 14-11-2017

**SHIV KUMAR GARG**  
President  
9212567435

**JAGDISH PRASHAD**  
Sr. Vice President  
9810406015

**KUNJ BIHARI BANSAL**  
Vice-president  
9810630323

**SHYAM SUNDAR**  
Vice President  
9911178848

**SUNIL SHARMA**  
Vice President  
9310023180

**MANOJ SHARMA**  
Vice President  
9582203929

**RAKESH KUMAR JAIN**  
Vice-President  
8800217969

**SITA RAM**  
Gen. Secretary  
9312238830

**RAJNEESH SHARMA**  
Secretary  
9818569678

**SAURABH GUPTA**  
Secretary  
9810943745

**MATLOOB ALAM**  
Secretary  
9818946781

**MANJEET KAUR**  
Secretary  
9210565722

**RAHUL AGGARWAL**  
Cashier  
9871420213

3. दिल्ली के राशन डीलर्स की उम्र 60 वर्ष से अधिक होने पर उसके लाइसेंस के नवीनीकरण पर, विभाग द्वारा लगाई गई अनावश्यक रोक को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए, गौरतलब हो कि भारत के किसी भी राज्य में राशन डीलर्स की अधिकतम उम्र सीमा से सम्बंधित इस प्रकार की कोई नीति लागू नहीं है, ताकि दिल्ली के राशन दुकानदारों को बेरोजगार होने से बचाया जा सके.
4. दिल्ली में राशन डीलर्स द्वारा राशन के वितरण के पश्चात राशन में होने वाली छिद्दत/कमी/क्षति (SHORTAGE/ HANDLING LOSS) को पूर्व की भांति मान्य कराया जाए तथा उसकी क्षतिपूर्ति को उपलब्ध कराया जाए ताकि छिद्दत/कमी/क्षति से वंचित राशन उपभोक्ताओं को भी राशन की खाद्य सामग्री मिल सके.
5. दिल्ली में राशन दुकान के कोटे की मात्रा को, M.C.D. वार्ड अनुसार एक समान (RATIONALIZATION) किया जाना चाहिए ताकि दिल्ली के राशन डीलर्स को एक सामान आर्थिक रूप से लाभ मिल सके.
6. दिल्ली में राशन दुकान के लाइसेंस को नवीनीकरण हेतु दिल्ली सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को मॉड्यूल बनाया था जिसमें FPS के लाइसेन्स को ऑनलाइन रिन्यूवल करने का प्रावधान था, परन्तु अफ़सोस है कि दिल्ली में पिछले दो वर्षों में एक भी FPS का लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू नहीं किया गया! अतः इस मॉड्यूल को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, ताकि दिल्ली के सभी राशन दुकानदारों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके.
7. दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (DSCSC LTD.) द्वारा दिल्ली के सभी राशन डीलर्स से अनावश्यक रूप से 102/- रुपये प्रतिमाह प्रत्येक राशन दुकानदार से अथवा 2 लाख 30 हजार रुपये प्रतिमाह दिल्ली के राशन डीलर्स से वसूले जा रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है.





# DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI

Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035  
E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

Website : www.dsrdsdelhi.com



**DSRDS**

**SHIV KUMAR GARG**  
President  
9212567435

**JAGDISH PRASHAD**  
Sr. Vice President  
9810406015

**KUNJ BIHARI BANSAL**  
Vice-president  
9810630323

**SHYAM SUNDAR**  
Vice President  
9911178848

**SUNIL SHARMA**  
Vice President  
9310023180

**MANOJ SHARMA**  
Vice President  
9582203929

**HARI KRISHAN (LILU)**  
Vice-President  
9212442834

**SITARAM**  
Gen. Secretary  
9312238830

**RAJNEESH SHARMA**  
Secretary  
9818569678

**SAURABH GUPTA**  
Secretary  
9810943745

**MATLOOB ALAM**  
Secretary  
9818946781

**MANJEET KAUR**  
Secretary  
9210565722

**RAHUL AGGARWAL**  
Cashier  
9871420213

Ref. : DSRDS-DELHI/2017/NO. 236

Date: 14-11-2017

8. दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (DSCSC LTD.) के ट्रांसपोर्टर कॉन्ट्रैक्टर ( T.C.) की लेबर द्वारा 10 रुपये प्रति क्विंटल दिल्ली के राशन डीलर्स से वसूले जा रहे हैं, यह वसूली राशन की दुकान में राशन की डिलीवरी के उपरांत की जाती है, जोकि गैर-कानूनी है। ना देने पर अथवा मना करने पर उरोक्त लेबर द्वारा मनमाने ढंग से राशन की डिलीवरी की जाती है। गौरतलब हो कि दिल्ली में राशन डीलर्स को लगभग 04 लाख क्विंटल राशन की आपूर्ति प्रतिमाह DSCSC LTD. द्वार की जाती है, इसप्रकार लगभग 40 लाख रुपये प्रतिमाह दिल्ली के राशन दुकानदारो को आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है, जिसे भी तुरंत प्रभाव से खतम किया जान चाहिए.

हमें पूर्ण विश्वास है कि आप उपरोक्त विषयो पर विभाग को निर्देश देकर दिल्ली में राशन डीलर्स की समस्याओ तथा मांगो पर गौर फरमाएंगे .

सधन्यवाद

  
शिव कुमार गर्ग

अध्यक्ष - दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स

संघ-दिल्ली प्रदेश(DSRDS-DELHI), MOB:- 9212567435, 8700370981